रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062025-264106
CG-DL-E-25062025-264106

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2025/आषाढ़ 3, 1947
No. 368] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2025/ASHADHA 3, 1947

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2025

सा.का.नि. 411(अ) – निम्नलिखित मसौदा नियम जिसे केंद्रीय सरकार दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 में संशोधन करने के लिए दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (v) के साथ पठित धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों पर विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —

(1) इन नियमों को दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 में, -

(1) नियम 2 में, उप-नियम (1) में,

(क) खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा: -

"(गक) "लाइसेंसधारक" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(गघ) "एमएनवी प्लेटफॉर्म" से नियम 7क के तहत स्थापित मोबाइल नंबर वैधीकरण प्लेटफॉर्म अभिप्रेत है, जो प्राधिकृत इकाइयों और लाइसेंसधारकों द्वारा सत्यापन को सक्षम बनाता है, इस संबंध में कि क्या टीआईयूई ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट दूरसंचार पहचान संख्या, प्राधिकृत संस्था या लाइसेंसधारक, जैसा भी मामला हो, के डेटाबेस में मौजूद उपयोगकर्ताओं के अनुरूप हैं;"

(ख) खंड (ज) के बाद, निम्नलिखित शामिल किया जाएगा:

"(झ) "दूरसंचार पहचान संख्या उपयोगकर्ता इकाई (टीआईयूई)" से लाइसेंसधारक या प्राधिकृत इकाई के अलावा एक व्यक्ति, जो अपने ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए या सेवाओं के प्रावधान और वितरण के लिए दूरसंचार पहचान संख्याओं का उपयोग करता है, अभिप्रेत है;"

(2) नियम 3 में, उप-नियम (1) में,

(क) खंड (क) में, अंत में, शब्द "और" हट जाएगा;

(ख) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"(कक) एक टीआईयूई द्वारा उपयोग किए जाने वाले दूरसंचार पहचान संख्याओं से संबंधित डेटा मांग सकती है और टीआईयूई को इसके प्रसंस्करण और भंडारण को सक्षम करने के लिए डिजिटल माध्यमों के माध्यम से निर्दिष्ट बिंदुओं से ऐसा डेटा प्रदान करने के लिए कह सकती है; तथा"

(3) नियम 3 में, उप-नियम (2) में, "दूरसंचार इकाईयों" शब्दों के बाद, शब्द "या टीआईयूई " शामिल किया जाएगा।

(4) नियम 4 में, उप-नियम (3) में, "दूरसंचार इकाई" शब्दों के बाद, शब्द "और टीआईयूई " शामिल किया जाएगा।

(5) नियम 5 में,

(क) उप-नियम (6) निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"(6) जहाँ केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि उप-नियम (5) के तहत तत्काल कार्रवाई लोकहित में आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह, उप-नियम (2) के तहत सूचना जारी किए बिना, उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए उचित निदेशों के साथ आदेश पारित करेगी:

(क) दूरसंचार इकाई को प्रासंगिक दूरसंचार पहचान संख्या के उपयोग को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए; और

(ख) टीआईयूई को अपने ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए, या सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रासंगिक दूरसंचार पहचान संख्या के उपयोग को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए।

(ख) उप-नियम (7) में, "दूरसंचार इकाई" शब्दों के बाद, जहां भी ऐसा होता है, शब्द "या टीआईयूई" शामिल किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (8) में, परंतुक निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"बशर्ते कि उप-नियम (6) के तहत आदेश के किसी भी संशोधन में निम्नलिखित निदेश देने वाला आदेश भी शामिल हो सकता है:

(क) दूरसंचार इकाई उप-नियम (5) के खंड (ख) के तहत निर्दिष्ट प्रासंगिक दूरसंचार पहचान संख्या के उपयोग को स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट कर दे, और

(ख) टीआईयूई अपने ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए, या सेवाएँ प्रदान करने के लिए, इस तरह के आदेश में निर्दिष्ट तरीके से ऐसे दूरसंचार पहचान संख्याओं के उपयोग को प्रतिबंधित या परिसीमित कर दे।

(घ) उप-नियम (11) में,

(i) "दूरसंचार पहचान संख्याओं से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "टीआईयूई" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ii) "अपने उपभोक्ताओं" शब्दों के पश्चात "या प्रयोक्ताओं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(6) नियम 7 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा:

"7क. दूरसंचार पहचान संख्याओं का सत्यापन - (1) दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार स्वयं या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी के माध्यम से एमएनवी प्लेटफॉर्म स्थापित करेगी तथा प्राधिकृत संस्थाओं और लाइसेंसधारकों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर भाग लेने के रूप और तरीके के संबंध में निदेश जारी करेगी।

(2) कोई टीआईयूई स्वत: संज्ञान लेकर या केंद्रीय या राज्य सरकार या केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी के निदेश पर एमएनवी प्लेटफॉर्म पर उसमें विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से तथा इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर अनुरोध कर सकता है जिसमें यह सत्यापन मांगा जाएगा कि क्या उनके उपभोक्ताओं या प्रयोक्ताओं द्वारा विनिर्दिष्ट दूरसंचार पहचान संख्या, प्राधिकृत संस्था या लाइसेंसधारक के डेटाबेस में मौजूद प्रयोक्ताओं के अनुरूप हैं।

(3) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई एजेंसी भी एमएनवी प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में सत्यापन की मांग कर सकती है कि क्या टीआईयूई उपभोक्ताओं या प्रयोक्ताओं द्वारा विनिर्दिष्ट दूरसंचार पहचान संख्या, प्राधिकृत संस्था या लाइसेंसधारक के डेटाबेस में मौजूद प्रयोक्ताओं के अनुरूप हैं।

(4) एमएनवी प्लेटफॉर्म उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के तहत प्राप्त किसी भी अनुरोध को सत्यापन के उद्देश्य से प्राधिकृत संस्थाओं और लाइसेंसधारकों को भेजेगा और ऐसी संस्थाएं ऐसा सत्यापन करेंगी और केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से एमएनवी प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया देंगी।

(5) इस नियम के तहत मोबाइल नंबर सत्यापन केवल ऐसे पहचान संख्या से जुड़ी सेवाओं के उद्देश्य से दूरसंचार पहचान संख्या से जुड़े उपभोक्ताओं या प्रयोक्ताओं के सत्यापन के उद्देश्य से होगा और टीआईयूई, प्राधिकृत संस्था और लाइसेंसधारक, जैसा भी मामला हो, इस उद्देश्य के लिए डेटा सुरक्षा से संबंधित लागू विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।"

(7) नियम 8 में,

(क) उप-नियम (4) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(4) केंद्रीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) संख्या वाले दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माताओं को निदेश जारी कर सकती है कि:

(क) छेड़छाड़ किए गए दूरसंचार उपकरण या आईएमईआई संख्या के संबंध में आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करें; और

(ख) भारत में दूरसंचार नेटवर्क में पहले से उपयोग में आने वाले आईएमईआई को भारत में निर्मित या भारत में आयात किए जा रहे नए दूरसंचार उपकरणों को प्रदान न करें।"

(ख) उप-नियम (5) के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा:

"(6) केन्द्रीय सरकार, सीधे या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी के माध्यम से उन आईएमईआई का डाटाबेस रखेगी जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है या जिनका उपयोग उप-नियम (4) के खंड (ख) के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है।

(7) भारत में आईएमईआई नंबर वाले प्रयुक्त दूरसंचार उपकरणों की बिक्री और खरीद में शामिल व्यक्ति को ऐसी बिक्री या खरीद से पहले उप-नियम (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट डाटाबेस तक पहुंच के लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से प्रति आईएमईआई दस रुपए के शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे डेटाबेस में विनिर्दिष्ट आईएमईआई नंबर वाले किसी दूरसंचार उपकरण की बिक्री या खरीद नहीं करता है।"

(8) नियम 10 में,

(क) उप-नियम (2) में, "दूरसंचार इकाईयों" शब्दों के पश्चात, जहां भी वे आते हैं, शब्द "या टीआईयूई" अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (3) में, "दूरसंचार इकाई" शब्दों के पश्चात, शब्द "टीआईयूई" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(9) नियम 10 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे:

शुल्क की अनुसूची

(नियम 7क(2))

क्र. सं.	व्यक्ति/अनुरोध की श्रेणी	कुल देय शुल्क (लागू करों को छोड़कर)
1	जहां टीआईयूई केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग, मंत्रालय या कार्यालय है, या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी कानून के तहत स्थापित कोई प्राधिकरण है।	शून्य
2	जहां टीआईयूई केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, या केंदीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी के निदेश के अनुसरण में मोबाइल नंबर सत्यापन के लिए अनुरोध करता है।	प्रत्येक अनुरोध के लिए एक रुपया पचास पैसे, जिसमें से, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी, जैसा भी मामला हो, पचास पैसे अपने पास रखेगी तथा एक रुपया मोबाइल नंबर सत्यापन करने वाली संबंधित प्राधिकृत संस्था या लाइसेंसधारक को अंतरित करेगी।
3	जहां टीआईयूई एक निजी संस्था है और अनुरोध उपरोक्त श्रेणी (2) के अंतर्गत नहीं आता है।	प्रत्येक अनुरोध के लिए तीन रुपए, जिसमें से केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी, जैसा भी मामला हो, एक रुपए अपने पास रखेगी तथा दो रुपए मोबाइल नंबर सत्यापन करने वाली संबंधित प्राधिकृत संस्था या लाइसेंसधारक को अंतरित करेगी।

[फा. सं. 24-07/2024-यूबीबी]

देवेंद्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम दिनांक 21 नवंबर, 2024 को संख्या सा.का.नि. 720(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2025

G.S.R. 411(E). – The following draft rules to amend the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 read with clause (v) to sub section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is given that the said draft rules shall be taken into consideration after the

expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

1. Short title and commencement. —

(1) These rules may be called the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024, -

(1) in rule 2, in sub-rule (1),

(a) after clause (c), following shall be inserted: -

"(ca) "licensee" means a person holding a license to provide telecommunication services under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(cb) "MNV platform" means the mobile number validation platform established under rule 7A to enable validation by authorised entities and licensees as regards whether telecommunication identifiers specified by TIUE customers or users, correspond to the users as present in the database of an authorised entity or licensee, as the case may be;"

(b) after clause (h), following shall be inserted:

"(i) "telecommunication identifier user entity (TIUE)" means a person, other than a licensee or authorised entity, which uses telecommunication identifiers for the identification of its customers or users, or for provisioning and delivery of services;"

(2) In rule 3, in sub-rule (1),

(a) in clause (a), at the end, the word "and" shall be omitted;

(b) after clause (a), the following shall be inserted: -

"(aa) seek data related to telecommunication identifiers used by a TIUE and ask TIUE to provide such data from designated points through digital means to enable its processing and storage; and"

(3) In rule 3, in sub-rule (2), after the words "telecommunication entities", the words "or TIUE" shall be inserted.

(4) In rule 4, in sub-rule (3), after the words "telecommunication entity", the words "and TIUE" shall be inserted.

(5) In rule 5,

(a) sub-rule (6) shall be substituted with the following: -

"(6) Where the Central Government considers that immediate action under sub-rule (5) is necessary or expedient in the public interest, it shall without issuing a notice under sub-rule (2), pass an order recording the reasons thereof, with appropriate directions:

(a) to the telecommunication entity to temporarily suspend use of the relevant telecommunication identifier; and

(b) to the TIUE to temporarily suspend use of the relevant telecommunication identifier for identification of its customers or users, or for delivery of services."

(b) in sub-rule (7), after the words "telecommunication entity", wherever it occurs, the words "or TIUE" shall be inserted;

(c) in sub- rule (8), the proviso shall be substituted with the following:

"Provided that any modification of the order under sub-rule (6) may also include an order directing:

(a) the telecommunication entity to permanently disconnect the use of the relevant telecommunication identifier as specified under clause (b) of sub-rule (5), and

(b) the TIUE to prohibit or circumscribe the use of such telecommunication identifiers for identification of its customers or users, or for delivery of services, in the manner as may be specified in such order."

(d) In sub-rule (11),

(i) for the words "any person providing services that are linked to telecommunication identifiers", the words "a TIUE" shall be substituted; and

(ii) after the words "their customers", the words "or users," shall be inserted.

(6) After rule 7, the following rule shall be inserted:

"**7A. Validation of telecommunication identifiers.** — (1) With a view to ensuring telecom cyber security and prevent security incidents, the Central Government shall by itself, or through an agency authorised by the Central Government, establish a MNV platform and issue directions to authorised entities and licensees, as regards the form and manner in which to participate on such platform.

(2) A TIUE may suo moto, or shall, upon a direction from Central or State Government or an agency authorised by the Central or State Government, place a request on the MNV platform in the form and manner as specified therein, and on payment of fees as specified in the schedule to these rules, seeking validation of whether the telecommunication identifiers as specified by their customers or users, correspond to the users as present in the database of an authorised entity or licensee.

(3) The Central Government or State Government or any agency authorised by the Central Government or State Government, may also seek validation on the MNV platform as regards whether telecommunication identifiers as specified by TIUE customers or users, correspond to the users as present in the database of an authorised entity or licensee.

(4) The MNV platform shall transmit any request received under sub-rule (2) or sub-rule (3) to authorised entities and licensees for the purpose of validation, and such entities shall undertake such validation and provide their response to the MNV platform in the form and manner as specified by the Central Government.

(5) Mobile number validation under this rule shall be solely for the purpose of validation of customers or users associated with a telecommunication identifier for the purpose of services linked to such identifier, and the TIUE, authorised entity and licensee, as the case may be, shall ensure compliance with applicable laws relating to data protection for this purpose."

(7) In rule 8,

(a) sub-rule (4) shall be substituted with the following:

"(4) The Central Government may issue directions to manufacturers of telecommunication equipment bearing International Mobile Equipment Identity (IMEI) number to:

(a) provide assistance as required in relation to tampered telecommunication equipment or IMEI number; and

(b) not assign IMEIs that are already in use in telecommunication networks in India, to new telecommunication equipment that are being manufactured in India or imported to India."

(b) after sub-rule (5), following shall be inserted:

"(6) The Central Government shall, either directly or through an agency authorised by the Central Government, maintain a database of IMEIs which are tampered, or whose use has been restricted under clause (b) of sub-rule (4).

(7) A person engaged in the sale and purchase in India of used telecommunication equipment bearing IMEI numbers, shall, prior to such sale or purchase, apply for access to the database specified under sub-rule (6), in the form and manner as specified on the portal, along with payment of fees of ten rupees per IMEI, and ensure that it does not, directly or indirectly, undertake sale or purchase of any telecommunication equipment bearing IMEI number that is specified in such database."

(8) In rule 10,

(a) in sub-rule (2), after the words "telecommunication entities", wherever it occurs, the words "or TIUEs" shall be inserted;

(b) in sub-rule (3), after the words "telecommunication entity", the word ", TIUE," shall be inserted.

(9) After rule 10, following shall be inserted:

Schedule of Fees

(Rule 7A(2))

S. No.	Category of Person/request	Total Fee payable (excluding the applicable taxes)
1.	Where TIUE is a department, ministry or office of the Central Government or State Government, or an authority established under a statute of the Central Government or State Government.	Nil
2.	Where TIUE makes a request for mobile number validation pursuant to a direction of the Central Government or State Government, or an agency authorised by the Central Government or State Government.	One rupee fifty paise per request, of which, the Central Government or agency authorised by the Central Government, as the case may be, shall retain fifty paise, and transfer one rupee to the relevant authorised entity or licensee undertaking the mobile number validation.
3.	Where a TIUE is a private entity and request does not fall under category (2) above	Three rupees per request, of which, the Central Government or agency authorised by the Central Government, as the case may be, shall retain one rupee, and transfer two rupees to the relevant authorised entity or licensee undertaking the mobile number validation.

[F. No. 24-07/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy .

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 720(E) dated the 21st November, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.25 11:44:08 +05'30'